Witness No. .....**01**.... For ....**अभियोजन**........Deposition taken

the .16 जुलाई 2026.. day of .गुरूवार. Witness's apparent age .35 वर्ष.

States on affirmation .शपथ.. my name is **..अरूण डेहरे.**

Son of ...श्री संतराम डेहरे.. occupation .मजदूरी.

address ..ग्राम जांता, थाना साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)...

समय–01.10 बजे से

नोट– अभियुक्त वी.सी. के माध्यम से जिला जेल बेमेतरा से पेश।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एस.जी.श्रीवास, लोक अभियोजक वास्ते राज्य

मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य, पूर्णसत्य एवं सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा।

01. मैं वी.सी. के माध्यम से उपस्थित आरोपी अश्वनी सतनामी को जानता हूं जो मेरे गांव जांता का रहने वाला है। मृतक नरेश डेहरे में सगा छोटा भाई है।

02. दिनांक 30.12.2025 को गांव में तालाब के साइड में एक बाउंड्री है जहां गुरू घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में रात में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें मैं, सरपंच निलेश भारती, मेरा भाई नरेश एवं अश्वनी, अमितेश और अन्य लोग भी गये थे।

03. कार्यक्रम रात 11.30 बजे शुरू हुआ, रात 2.00 बजे मेरे भाई नरेश और अभियुक्त अश्वनी सतनामी के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हो

गया, जिन्हें मैं, सरपंच निलेश भारती, अमितेश महिलांगे छुड़ाये, उसके बाद तालाब तरफ चले गये।

04. रात करीब 3–3.30 बजे विकास महिलांगे हमलोगों के पास दौड़ते हुए आया और बताया कि आपके भाई नरेश को पुसउ के घर के पास चौरा में रॉड से अश्वनी सतनामी मार रहा है। तब मैं, निलेश भारती, अमितेश महिलांगे पुसउ के घर के पास दौड़ते हुए गये तो देखे कि मेरा भाई नरेश पुसउ के चौरा के पास पड़ा था जिसके सिर में चोट लगी थी, जिसे हमलोग उठाकर मोटरसायकल से साजा के सरकारी अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर बताये कि मेरे भाई नरेश कि मृत्यु हो चुकी है।

05. उसके बाद मैं घटना की जानकारी अपने पिता संतराम को दिया था। उसके बाद मैं घटना की सूचना थाना में दिया था। मेरे द्वारा दी गयी मर्ग सूचना **प्रपी–1** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रपी–1 के मर्ग सूचना के आधार पर दर्ज् प्रथम सूचना पत्र **प्रपी–2** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

06. मेरे सामने पुलिसवाले घटनास्थल का नक्शा **प्रपी–3** मेरे बताये अनुसार तैयार किये थे, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मुझे बाद में डॉक्टर के बताये अनुसार पता चला कि मेरे भाई नरेश के हाथ में बाल है, जिसे पुलिसवाले जप्त किये थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश तिवारी, चीफ एलएडीसीएस वास्ते अभियुक्त</u>

07. यह कहना सही है कि जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां तीन तरफ 10 फीट ईंट की दीवाल है। यह कहना सही है कि उसके एक साइड में साजा से परपोड़ी जाने वाली चौड़ी रोड है। यह कहना सही है कि उस रोड के उस पार तालाब है।

08. यह कहना सही है कि उस कार्यक्रम में मेरे, मेरे भाई, सरपंच एवं मेरे गांव के अन्य लोगों के अलावा लगभग 500 लोग भी उपस्थित थे। यह कहना गलत है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मेरे भाई नरेश एवं अश्वनी का झगड़ा रात 2.00 बजे नहीं हुआ था।

09. यह कहना गलत है कि मुझे विकास महिलांगे यह नहीं बताया था कि वह अश्वनी द्वारा रॉड से मेरे भाई नरेश को मारते देखा है। तालाब से पुसउ के घर की दूरी लगभग 30–40 फीट होगी। यह कहना सही है कि पुसउ के घर के सामने से गांव जाने के लिये कांक्रीट वाली रोड है। यह कहना सही है कि पुसउ के घर के सामने तीन फीट उंचा चौरा बना है।

10. मुझे जानकारी नहीं है कि पुसउ के घर के सामने से लोग गांव में कार्यक्रम होने से रात में आना जाना कर रहे थे या नहीं। यह कहना सही है कि मैं और मेरे साथी लोग घटनास्थल पर गये थे तब मेरा भाई नरेश वहां चित पड़ा था।

11. यह कहना सही है कि घटनास्थल से साजा अस्पताल लगभग 2 कि.मी. दूर है। यह कहना सही है कि अस्पताल ले जाते समय मेरा भाई का शरीर शिथिल हो गया था। स्वतः कहा कि मैं अपने भाई को पकड़कर अस्पताल नहीं ले गया था, सरपंच ले गये थे मैं पीछे पीछे दूसरी मोटरसायकल से अस्पताल गया था।

12. यदि मेरे पुलिस बयान **प्र.डी.–1** में ऐसा लिखा हो कि ''मैं और निलेश भारती मोटरसायकल से इलाज के लिये नरेश को लेकर गये थे, तो वह गलत है। स्वतः कहा कि मैं गया था लेकिन अलग मोटरसायकल से गया था। यह कहना सही है कि मैं अश्वनी द्वारा रॉड से अपने भाई नरेश को मारते नहीं देखा हूं। यह कहना सही है कि मैं विकास के बताये अनुसार ही अपने भाई को अश्वनी द्वारा मारने की बात बता रहा हूं।

13. यह कहना सही है कि जब मैं घटनास्थल पहुंचा तो अपने भाई के हाथ में बाल नहीं देखा था। स्वतः कहा कि मैं उसके हाथ तरफ जल्दबाजी में देखा नहीं था।

14. जब डॉक्टर मेरे भाई को मृत बताया तब मैं सुबह थाना गया था। स्वतः कहा कि मैं समय नहीं देखा था। रिपोर्ट लिखाने के आधे घंटे बाद पुलिसवाले अस्पताल आये थे। यह कहना सही है कि मेरे भाई को अस्पताल में ड्रेसिंग रूम में रखा गया था। मैं ड्रेसिंग रूम में नहीं गया था।

15. यह कहना सही है कि मुझे विकास यह नहीं बताया था कि घटना के पहले मेरे भाई और अश्वनी के बीच आपस में झूमाझटकी हुआ था और अश्वनी जान से मारने की धमकी दे रहा था। यदि उक्त बातें विकास द्वारा बताने के बारे में मेरे पुलिस बयान प्र.डी.–1 में लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

16. यह कहना गलत है कि विकास मुझे अश्वनी द्वारा नरेश को मारने की बात नहीं बताया था।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया
सही/–
(श्रीमती सरोजनंद दास)
सत्र न्यायाधीश बेमेतरा
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(श्रीमती सरोजनंद दास)
सत्र न्यायाधीश बेमेतरा
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

समय–01.35 बजे तक

Witness No. .....**02**.... For ....**अभियोजन**........Deposition taken the .16 जुलाई 2026.. day of .गुरूवार. Witness's apparent age .23 वर्ष.

States on affirmation .शपथ.. my name is **..ममता डेहरे.**

Wife of ...स्व. श्री नरेश डेहरे.. occupation .मजदूरी.

address ..ग्राम जांता, थाना साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)...

समय–01.35 बजे से

नोट– अभियुक्त वी.सी. के माध्यम से जिला जेल बेमेतरा से पेश।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एस.जी.श्रीवास, लोक अभियोजक वास्ते राज्य

मैं जो साक्ष्य दूंगा वह सत्य, पूर्णसत्य एवं सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा।

01. मैं वी.सी. के माध्यम से उपस्थित आरोपी अश्वनी सतनामी को जानती हूं जो मेरे गांव जांता का रहने वाला है। मृतक नरेश डेहरे मेरा पति था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

02. मैं दिनांक 19.12.2025 को अपने मायके सहसपुर लोहारा में थी। मुझे मेरा पति फोन करके बताया कि दिनांक 30.12.2025 को गांव में गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देखने जा रहा हूं।

03. दिनांक 31.12.2025 को मेरा जेठ अरूण डेहरे फोन करके मुझे बताया कि अश्वनी सतनामी मेरे पति नरेश के सिर में रॉड से मार दिया है और नरेश खत्म हो गया है, जिसकी जानकारी मैं अपने भाई हेमकुमार, मां पार्वती जोशी, चाचा मोहित जोशी को दिया। उसके बाद सभी मेरे साथ मेरे

ससुराल आये।

04. मैं घर आकर अपने जेठ अरूण डेहरे से पूछी तब पुनः अरूण डेहरे मेरा जेठ मुझे बताया कि पुसउ सतनामी के घर के पास जब नरेश बैठा था तब अश्वनी सतनामी मेरे पति नरेश को सिर में रॉड से मारकर हत्या कर दिया है और मुझे अरूण डेहरे यह भी बताया था कि इस घटना के पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भी नरेश और अश्वनी का झगड़ा हुआ था जिसे गांववाले छुड़ाये थे। मेरा जेठ मुझे यह भी बताया कि गांव के सरपंच और अमितेश महिलांगे मेरे पति नरेश को अस्पताल ले गये थे जहां डॉक्टर बताये कि नरेश खत्म हो गया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश तिवारी, चीफ एलएडीसीएस वास्ते अभियुक्त</u>

05. यह कहना सही है कि घटना दिनांक को मैं अपने मायके में थी। यह कहना सही है कि मैं घटना होते नहीं देखी हूं। यह कहना सही है कि मैं अश्वनी द्वारा अपने पति को मारने की बात अपने जेठ अरूण के बताये अनुसार बतायी हूं।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया
सही/–
(श्रीमती सरोजनंद दास)
सत्र न्यायाधीश बेमेतरा
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित
सही/–
(श्रीमती सरोजनंद दास)
सत्र न्यायाधीश बेमेतरा
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

<u>समय–01.50 बजे तक</u>